न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक अपील संख्या–73/2025

कम्प्यूटर पंजीयन नं०–121/2025

CNR UPLP01–010789–2025

इलियास खां उम्र 40 वर्ष पुत्र छोटे खां निवासी ग्राम हजरतापुर थाना फूलबेहड़, जिला खीरी।

---- अपीलार्थी/ अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य।

---------- प्रत्यर्थी।

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक अपील, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–2, लखीमपुर–खीरी द्वारा आपराधिक वाद सं०–6197/2011, मु०अ०सं०–C–4/2003, अंतर्गत धारा–279,304A, 338 भा०दं०सं०, थाना खीरी, जिला लखीमपुर खीरी में पारित आलोच्य निर्णय दिनांकित 03–12–2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त इलियास को धारा–279 भा०दं०सं० के अपराध हेतु छः माह (6 माह) के साधारण कारावास से धारा–304 ए भा०दं०सं० के अपराध हेतु दो वर्ष (2 वर्ष) के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

2– अपीलार्थी/ अभियुक्त की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश/ निर्णय के विरूद्ध अपील के मुख्य आधार यह लिये गये हैं कि वादी मुकदमा ने घटना दिनांक 09.02.2003 की प्रथम सूचना रिपोर्ट जरिये 156 (3) सी०आर०पी०सी० के प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.03.2003 को कानूनी राय मश्विरा लेकर दिनांक 04.04.2003 को न्यायालय के आदेश से मुकदमा पंजीकृत किया गया, वादी मुकदमा घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा के 161 सी०आर०पी०सी० के बयानों व साक्षी पी०डब्लू 1 मैना देवी जो उसकी पत्नी है के बयानों से होती है। वादी मुकदमा ने चालक वाहन सं०–UP 31T 0361 (अल्का ब्रेक) के विरूद्ध लोगो के कहने व बताने के अनुसार 156 (3) सी०आर०पी०सी० का प्रार्थना पत्र दिया गया है जबकि वादी मुकदमा व उसकी पत्नी मैना देवी साक्षी पी०डब्लू–1 पढ़ी लिखी नहीं है। आरोप पत्र में गवाहों की सूची में क्रमांक–1 पर वादी मुकदमा का नाम है तथा क्रमांक–2 पर श्रीमती मैना देवी पत्नी भारत तथा क्रमांक–3 पर रामचन्द्र पुत्र जवाहर निवासी ग्राम ठठेरहन टोला कस्बा ओयल, (गवाह चश्मीद) अंकित है। दौरान मुकदमा वादी की मृत्यु हो गयी जिस कारण कमाक–2 पर अंकित श्रीमती मैना देवी पी०डब्लू–1 के रूप में साक्ष्य हेतु न्यायालय में पेश हुई। पी०डब्लू–1 साक्षी मैना देवी ने अपने बयानों में कहा है कि रामचन्द्र नाम के बंगाली ने मुझे गाड़ी का नम्बर बताया था, जिसका नाम गवाही की सूची में कमांक–3 पर रामचन्द्र पुत्र जवाहर निवासी ठठेहरनटोला कस्बा ओयल (गवाह चश्मदीद) अंकित है। जिन्हें न्यायालय में साक्ष्य हेतु पेश नही किया गया तथा साक्षी पी०डब्लू–1 मैना देवी ने यह भी कहा कि मैं दरोगा जी को घटना स्थल दिखाने नहीं गयी थी, मेरे आदमी गये थे (जो घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे) तथा बीच में अपनी जिरह में कहा कि ड्राइवर को मैने कभी नहीं देखा आज पहली बार देख रहा हूं। इस प्रकार

अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही साक्षी के आधार पर आदेश पारित कर महान भूल की है जो हर दशा में निरस्त होने योग्य है। पी०डब्लू–2 साक्षी रामचन्द्र पुत्र मिश्री लाल व पी०डब्लू–3 साक्षी सोबरन पुत्र मायाराम जो पंचायतनामा के गवाह है, उन्हें न्यायालय साक्ष्य हेतु पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त मुकदमें के विचारण के लिये विवेचक व लेखक एफ०आई०आर० का साक्ष्य न लेकर महान भूल की है, जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध तथ्यों व साक्ष्यों का सही परिसीलन न करके मनमनाने तरीके से पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित दिनांक 03.12.2025 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

3– संक्षेप में, अभियोजन कथानक प्रार्थी भारत प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० दिनांकित 05–03–03 के अनुसार इस प्रकार है कि, "प्रार्थी का पुत्र ललित आयु 06 वर्ष दिनांक 09–02–2003 को ओयल से अपनी मां के साथ ननिहाल हजियापुर जा रहा था कि समय करीब एक बजे दिन डिम्हौरा मोड़ पर जब वह सड़क के बाई ओर खड़ा था, तब लखीमपुर की ओर से आते हुए वाहन संख्या यू०पी० 31 टी/0361 अल्का ब्रेड के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उक्त मेटाडोर से प्रार्थी के पुत्र को रौंद डाला, जिससे जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गयी, जिसका दिनांक 10–02–2003 को पोस्टमार्टम हुआ था। पुलिस चौकी ओयल पर प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने गया, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी और कहा गया कि पहले गाड़ी पकड़ लें, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखेंगे और अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी है तथा न ही कोई कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक, खीरी को दिनांक 24–02–2003 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिन्होंने प्रार्थना पत्र की प्रति को दस्ती के रूप में तैयार कराकर प्रार्थी से थाने पर देने के लिये कहा, जिस प्रार्थी ने उसी दिन थाना खीरी जाकर दे दिया था। थानाध्यक्ष खीरी के निर्देशानुसार पुलिस चौकी ओयल थाना खीरी पर गया, किन्तु उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी, तब प्रार्थी ने दिनांक 27–02–2003 को पंजीकृत डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, खीरी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।" अतः प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाकर न्याय दिलाने की प्रार्थना की गयी।

4– वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 04–04–2002 को समय 20:30 बजे अभियुक्त के विरूद्ध मुकमदा पंजीकृत किया गया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी।

5– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा दौरान विवेचना साक्षियों का साक्ष्य अंकित किया गया बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6– आरोप पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरात अभियुक्त को तलब किया गया। जिस पर अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया तथा अपनी जमानतें दाखिल की। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 15–04–2004 को आरोप/ बयान मुल्जिम विरचित किया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एव विचारण की मांग की।

7– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–1 मैना देवी, पी०डब्लू०–2 रामचन्द्र, पी०डब्लू०–3 सोबरनलाल को परीक्षित कराया गया। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8– अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताते हुये साक्षी पी०डब्लू० 1 मैना देवी, पी०डब्लू० 2 रामचन्द्र, पी०डब्लू० 3 सोबरनलाल के द्वारा दिये गये बयान के बावत कुछ न कहे जाना, मुकदमा रंजिशन चलने का कथन करते हुये सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया गया।

9– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रि०) तथा अपीलार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सविस्तार सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

10– अभियोजन का कथन यह है कि वादी मुकदमा भारत प्रसाद का लगभग छह वर्षीय पुत्र ललित दिनांक 09.02.2003 को अपनी माता मैना देवी के साथ ननिहाल हजियापुर जा रहा था। लगभग 1:00 बजे दिन में डिम्हौरा मोड़ के पास सड़क के बाईं ओर खड़े होने के समय वाहन संख्या UP–31 T–0361 के चालक ने वाहन को तेज गति तथा लापरवाही से चलाते हुए बालक को टक्कर मार दी। घायल बालक को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।

11– पी०डब्लू०–1 मैना देवी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना के दिन वह अपने पुत्र ललित के साथ टैम्पों से यात्रा कर रही थी और जब टैम्पो डिम्हौरा मोड़ पर पहुंचा, तो वह अपने बच्चे को लेकर बायीं तरफ खड़ी हो गयी तथा उसका बच्चा गोद से उतर कर सड़क के बायीं ओर बैठ गया। डिम्हौरा मोड़ के पास वाहन तेज गति से आया और उसके पुत्र को टक्कर मार दी। उसने यह भी कहा कि वाहन संख्या उसे रामचन्द्र नामक एक व्यक्ति ने बताई थी, जो वाहन के पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था और जिसे लोग "रामचन्द्र बंगाली" के नाम से जानते थे। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि उसे दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर स्वयं ज्ञात नहीं था, वाहन का नंबर रामचन्द्र बंगाली ने बताया था, घटना के बाद कुछ दिनों में वाहन संख्या की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र लिखवाया गया, उसे विवेचक द्वारा घटनास्थल नहीं दिखाया गया था, उसने चालक को पहले कभी नहीं देखा था और न्यायालय में पहली बार देख रही थी, उसे मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में लगभग ₹50,000–₹60,000 प्रतिकर प्राप्त हुआ था और उसके पति भारत प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है।

12– पी०डब्लू०–2 रामचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल ने घटना को स्वयं देखने का कथन नहीं किया। उसने सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुँचने और मृतक के पंचायतनामा पर हस्ताक्षर करने का कथन किया। प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट किया कि वह दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसके गाँव में "रामचन्द्र बंगाली" नाम का कोई व्यक्ति उसकी जानकारी में नहीं था।

13– पी०डब्लू०–3 सोबरनलाल ने भी दुर्घटना को स्वयं देखने का कथन नहीं किया। उसका साक्ष्य मृतक के पंचायतनामा एवं उस पर किए गए हस्ताक्षरों तक सीमित है।

14– अभियोजन द्वारा विवेचक, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, वाहन के पंजीकृत स्वामी, वाहन के कथित चालक की पहचान कराने वाले व्यक्ति तथा वाहन संख्या बताने वाले कथित रामचन्द्र बंगाली को परीक्षित नहीं कराया गया।

15– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। अपीलार्थी को घटना के लगभग 22 वर्ष बाद न्यायालय में पहली बार पहचाना गया, जबकि पी०डब्लू०–1 ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने चालक को पहले कभी नहीं देखा था। यह भी तर्क दिया गया कि पी०डब्लू०–1 वाहन संख्या की प्रत्यक्ष ज्ञाता नहीं है। वाहन संख्या उसे कथित रूप से रामचन्द्र बंगाली ने बताई थी, किंतु उक्त व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। गवाह सूची में रामचन्द्र पुत्र जवाहर निवासी ठहरेन टोला, करवा ओयल का नाम अंकित होने के बावजूद उसे भी परीक्षित नहीं कराया गया। विवेचक को परीक्षित न कराए जाने के कारण घटनास्थल का नक्शा–नजरी, वाहन की स्थिति, टक्कर का वास्तविक स्थान, सड़क की चौड़ाई, वाहन की दिशा, मृतक बालक की स्थिति और अपीलार्थी का वाहन से संबंध प्रमाणित नहीं हो सका। मात्र यह कथन कि वाहन "बहुत तेज गति" से चल रहा था, आपराधिक उतावलेपन या लापरवाही का प्रमाण नहीं है। अपीलार्थी की ओर से यह भी कहा गया कि पी०डब्लू०–2 एवं पी०डब्लू०–3 केवल पंचायतनामा साक्षी हैं और उनका साक्ष्य अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने में कोई सहायता नहीं करता। अतः दोषसिद्धि अनुमान एवं संभावना पर आधारित है।

16– राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने आलोच्य निर्णय का

समर्थन करते हुए कहा कि पी०डब्लू०–1 मृतक बालक की माता एवं स्वाभाविक प्रत्यक्षदर्शी है। उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध नहीं है। मात्र संबंधित साक्षी होने के कारण उसकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि घटना बहुत पुरानी होने के कारण समय, दूरी तथा यात्रा से संबंधित सामान्य विसंगतियाँ स्वाभाविक हैं। पी०डब्लू०–1 ने स्पष्ट रूप से वाहन द्वारा बालक को टक्कर मारने और न्यायालय में अपीलार्थी की पहचान करने का कथन किया है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

17– प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित बिंदु अवधारण योग्य हैं–

– क्या यह संदेह से परे प्रमाणित है कि अपीलार्थी ही दुर्घटनाकारी वाहन संख्या UP–31 T–0361 चला रहा था तथा उक्त वाहन को अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन अथवा आपराधिक लापरवाही से चलाया गया ?

– क्या आलोच्य दोषसिद्धि एवं दण्डादेश विधि और साक्ष्य के अनुरूप है?

18– महत्वपूर्ण है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध प्रथम अपील तथ्यों और विधि दोनों पर विचारण की निरंतरता होती है। अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वह मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करे और यह सुनिश्चित करे कि दोषसिद्धि अनुमान अथवा मात्र संभाव्यता पर नहीं, अपितु संदेह से परे प्रमाण पर आधारित है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षीगण की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है और एकमात्र साक्षी के साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि विधिक रूप से संभव है, परन्तु ऐसा साक्ष्य विश्वसनीय, स्वाभाविक और मूल व सारवान प्रश्नों पर संदेह से परे होनी चाहिए। यदि एकमात्र साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय श्रेणी में नहीं आता, तो न्यायिक सतर्कता के दृष्टिगत भौतिक बिंदुओं पर पुष्टिकरण अपेक्षित होता है।

19– पंचायतनामा साक्षियों तथा उपलब्ध चिकित्सीय अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि बालक ललित की मृत्यु सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। अपीलार्थी ने भी बालक की मृत्यु के तथ्य का कोई वास्तविक विवाद नहीं किया है। परंतु किसी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाना और उस दुर्घटना के लिए किसी विशिष्ट अभियुक्त का आपराधिक दायित्व सिद्ध होना दो भिन्न–भिन्न प्रश्न हैं। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम आख्या से यह तो सिद्ध किया जा सकता है कि मृत्यु दुर्घटनाजन्य थी, परन्तु उनसे वाहन चालक की पहचान अथवा वाहन आपराधिक उतावलेपन या लापरवाही से चलाया गया था, साबित नहीं होता है। प्रस्तुत मामले की प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी अपीलार्थी की चालक के रूप में पहचान है। पी०डब्लू०–1 मैना देवी ने यह स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटनाकारी चालक को पहले कभी नहीं देखा था और न्यायालय में उसे पहली बार देख रही थी। घटना के लगभग 22 वर्ष बाद न्यायालय में पहली बार की गई ऐसी पहचान को बिना स्वतंत्र पुष्टिकरण के सुरक्षित आधार नहीं माना जा सकता। यद्यपि यह सही है कि परीक्षण पहचान परेड का आयोजन प्रत्येक मामले में अनिवार्य नहीं है और न्यायालय में की गई पहचान ही मूल साक्ष्य होती है। परन्तु ऐसी पहचान को कितना महत्व दिया जाए, यह साक्षी को अभियुक्त को देखने का अवसर, अभियुक्त से पूर्व परिचय, घटना और पहचान के मध्य समयांतराल तथा उपलब्ध पुष्टिकारक साक्ष्य पर निर्भर करता है। जब अभियुक्त साक्षी के लिए पूर्णतः अपरिचित हो, घटना क्षणिक हो और पहली बार न्यायालय में पहचान अत्यधिक विलंब से की गई हो, तब विशेष सावधानी अपेक्षित होती है। वर्तमान मामले में, पी०डब्लू०–1 मैना देवी का अपीलार्थी से कोई पूर्व परिचय नहीं था, अभियुक्त के शारीरिक स्वरूप, वस्त्र, आयु या किसी विशेष पहचान–चिह्न का प्रारंभिक विवरण प्रमाणित नहीं है, कोई परीक्षण शिनाख्त परेड नहीं कराई गई, वाहन के स्वामी द्वारा अपीलार्थी को चालक बताए जाने का कोई सिद्ध साक्ष्य नहीं है, अपीलार्थी की गिरफ्तारी या पहचान की प्रक्रिया को विवेचक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया तथा घटना एवं न्यायालयीय पहचान के बीच लगभग 22 वर्ष का अंतराल है। इन परिस्थितियों में मात्र न्यायालय के समक्ष की गई पहचान अपीलार्थी को वाहन चालक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अत्यधिक विलंब और पी०डब्लू०–1 मैना देवी

के उक्त स्पष्ट स्वीकारोक्ति का अपेक्षित सावधानी से मूल्यांकन नहीं किया जाना दर्शित होता है। पुनः पी०डब्लू०–1 मैना देवी द्वारा स्पष्टतः स्वीकार किया गया कि दुर्घटनाकारी वाहन का नंबर उसने स्वयं नहीं देखा था। उसके अनुसार नंबर रामचन्द्र बंगाली नामक व्यक्ति ने बताया था। इस प्रकार वाहन संख्या के संबंध में पी०डब्लू०–1 का कथन प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित न होकर किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर आधारित है और उक्त रामचन्द्र बंगाली को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया। पी०डब्लू०–2 रामचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल वह व्यक्ति नहीं है, जिसने वाहन संख्या बताई थी। अपितु उसने प्रतिपरीक्षा में यह तक कहा कि उसके गाँव में "रामचन्द्र बंगाली" नामक कोई व्यक्ति उसकी जानकारी में नहीं था। महत्वपूर्ण है कि वाहन संख्या बताने वाला व्यक्ति अभियोजन कथानक की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी था और उसी के साक्ष्य से यह प्रमाणित हो सकता था कि उसने वास्तव में दुर्घटना देखी थी, उसने वाहन संख्या किस प्रकार देखी, क्या उसने चालक को भी देखा था, वाहन संख्या पी०डब्लू०–1 मैना देवी अथवा वादी को कब और कहाँ बताई गई, क्या वही वाहन दुर्घटना में सम्मिलित था। परन्तु उक्त महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित न कराने का कोई समाधानप्रद कारण अभिलेख पर नहीं है। इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व उक्त विश्लेषण के दृष्टिगत दुर्घटना और वाहन संख्या UP–31 T–0361 के मध्य संबंध भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता। आरोपपत्र में किसी वाहन या व्यक्ति का नाम अंकित होना स्वयं में अपराध का प्रमाण नहीं है। प्रस्तुत आरोपपत्र विवेचक का निष्कर्ष मात्र होता है और उसमें उल्लिखित तथ्य न्यायालय में स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए जाने आवश्यक हैं।

20– यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य निर्णय अथवा उपलब्ध साक्ष्य में वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत स्वामी का बयान, मोटरयान अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत वाहन स्वामी से प्राप्त उत्तर, वाहन की बरामदगी, सुपुर्दगी प्रपत्र, यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट अथवा ऐसा कोई अन्य सिद्ध साक्ष्य नहीं है, जिनसे यह स्थापित होता कि घटना के समय वाहन अपीलार्थी ही चला रहा था। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामले में आवश्यक श्रृंखला, यथा–दुर्घटनाकारी वाहन; वाहन संख्या; वाहन का स्वामित्व; घटना के समय वाहन पर नियंत्रण तथा अपीलार्थी का चालक होना, साबित करने में अभियोजन विफल रहा हैं। यह श्रृंखला आरोपपत्र अथवा अनुमान से पूरी नहीं की जा सकती। पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई ठोस प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत न करने मात्र से अभियोजन के प्रमाण संबंधी अभाव की पूर्ति नहीं होती।

21– धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त सार्वजनिक मार्ग पर वाहन को इतनी उतावली या लापरवाही से चला रहा था जिससे मानव जीवन संकट में पड़ने या चोट लगने की संभावना थी। धारा 304–A भारतीय दण्ड संहिता के लिए यह सिद्ध होना चाहिए कि मृत्यु अभियुक्त के कृत्य से हुई, कृत्य उतावला या आपराधिक रूप से लापरवाह था, वही कृत्य मृत्यु का प्रत्यक्ष एवं निकटतम कारण था।

22– पी०डब्लू०–1 मैना देवी ने वाहन की गति के संबंध में केवल इतना कहा कि वाहन "बहुत तेज गति" से आया था। उसके साक्ष्य में अनुमानित गति, सड़क की चौड़ाई, सड़क पर यातायात, मोड़ की स्थिति, ब्रेक लगाने का प्रयास, हॉर्न, मृतक बालक की सही स्थिति या टक्कर के बिंदु के विषय में कोई निश्चित विवरण नहीं दिया गया हैं। मात्र "बहुत तेज गति" जैसे सामान्य कथन से अपने आप आपराधिक उतावलापन या लापरवाही सिद्ध नहीं होती। गति को सड़क की प्रकृति, यातायात, स्थान, समय, दृश्यता और चालक के व्यवहार की परिस्थितियों में देखा जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **State of Karnataka v. Satish, (1998) 8 SCC 493** के सिद्धांत को बाद के निर्णयों में भी उद्धृत करते हुए यह धारित किया गया है कि संदर्भ–विहीन "तेज गति" का कथन अकेले धारा 279 अथवा 304–A की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान मामले में घटनास्थल का नक्शा–नजरी विधिवत सिद्ध नहीं है। सड़क की चौड़ाई, वाहन और बालक की दिशा, टक्कर का वास्तविक स्थान, ब्रेक या टायर के निशान, वाहन को हुई क्षति तथा चालक द्वारा दुर्घटना टालने की संभावना के संबंध में कोई विश्वसनीय

साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यद्यपि यह तथ्य कि दुर्घटना में एक बालक की मृत्यु हुई, अत्यंत दुखद है, तथाप दुर्घटना का गंभीर परिणाम स्वयं चालक के आपराधिक उतावलेपन या लापरवाही का प्रमाण नहीं बन जाता। पुनः सामान्य नियम यह है कि विवेचक का परीक्षण न होना प्रत्येक मामले में अभियोजन के लिए घातक नहीं होता। यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हो और अभियुक्त को कोई वास्तविक प्रतिकूलता न हुई हो, तो केवल विवेचक के परीक्षण के अभाव में दोषमुक्ति नहीं दी जा सकती। परंतु जहाँ घटनास्थल विवादित हो, साक्षियों के कथनों में मूलभूत विसंगतियाँ हों, अभियुक्त की पहचान विवादित हो, महत्वपूर्ण गवाह प्रस्तुत न किए गए हों, बरामदगी, वाहन का संबंध या नक्शा–नजरी प्रमाणित किया जाना आवश्यक हो, वहाँ विवेचक को परीक्षित कराया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान प्रकरण में विवेचक का साक्ष्य इन प्रश्नों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हो सकता था कि अपीलार्थी को चालक के रूप में किस साक्ष्य पर आरोपित किया गया, वाहन संख्या की पुष्टि किस व्यक्ति से हुई, वाहन का पंजीकृत स्वामी कौन था, वाहन बरामद या यांत्रिक रूप से परीक्षित किया गया अथवा नहीं, पी०डब्लू०–1 मैना देवी ने प्रारंभिक कथन में चालक का क्या विवरण दिया था, कथित प्रत्यक्षदर्शी रामचन्द्र बंगाली का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए, घटनास्थल पर सड़क और दुर्घटना की वास्तविक स्थिति क्या थी। परन्तु इन प्रश्नों का कोई उत्तर उपलब्ध नहीं है। अतः वर्तमान मामले में विवेचक का परीक्षण न होना, मात्र तकनीकी कमी नहीं, अपितु अभियोजन की मुख्य कड़ियों को अप्रमाणित छोड़ने वाली वास्तविक कमी है।

23– प्रश्नगत घटना दिनांक 09.02.2003 की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने पर सम्बंधित पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र बाद में दिया जाना तथा कोई कार्यवाही न होने की दशा में धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2003 को प्रस्तुत किया जाना व न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा पंजीकृत होना अभियोजन की ओर से कहा गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने का कथन किया गया है तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने की स्थिति में न्यायालय का सहारा लेना स्वाभाविक हो सकता है। परन्तु विलंब तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वाहन संख्या तथा चालक की पहचान घटना के बाद अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सूचना के आधार पर जोड़ी गई हो और उस सूचना के वास्तविक स्रोत को न्यायालय में प्रस्तुत न किया गया हो। वर्तमान मामले में विलंब अकेले अभियोजन के लिए घातक नहीं है, परंतु अन्य कमियों के साथ मिलकर अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

24– वि० विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि पी०डब्लू०–1 मैना देवी का साक्ष्य मात्र मृतक की माता होने के कारण अस्वीकार नहीं की जा सकती और किसी माता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह वास्तविक अपराधी को बचाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को जानबूझकर फँसाएगी। तथापि "झूठा फँसाने का उद्देश्य नहीं है" और "अपीलार्थी ही चालक था" ; ये दो भिन्न प्रश्न हैं। दुर्भावना का अभाव पहचान की भूल की संभावना समाप्त नहीं करता और एक साक्षी द्वारा पूर्णतः ईमानदार होते हुए भी लंबे समयांतराल और अपर्याप्त अवलोकन के कारण गलत पहचान किया जाना संभव है। पुनः ये महत्वपूर्ण है कि पहचान, वाहन संख्या तथा दुर्घटना के तरीके के संबंध में पी०डब्लू०–1 का साक्ष्य स्वतंत्र पुष्टिकरण से रहित है। इसके अलावा पी०डब्लू०–2 रामचन्द्र एवं पी०डब्लू०–3 सोबरनलाल दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं और उन्होंने अपीलार्थी को वाहन चलाते हुए नहीं देखा। उनके द्वारा वाहन संख्या, दुर्घटना के ढंग और चालक की पहचान के विषय में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया हैं। इन दोनों साक्षीगण का साक्ष्य अधिकतम इतना सिद्ध करता है कि मृतक का पंचायतनामा तैयार हुआ और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। उनका साक्ष्य घटनाक्रम की महत्वपूर्ण भौतिक कड़ियों की पुष्टि नहीं करता, जिन पर अपीलार्थी/ अभियुक्त का आपराधिक दायित्व निर्भर करता है।

25– पुनः पी०डब्लू०–1 मैना देवी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में प्रतिकर प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति न तो उसके साक्ष्य को स्वतः झूठा बनाती है और न ही अपीलार्थी/ अभियुक्त का अपराध सिद्ध करती है। उल्लेखनीय है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले में प्रमाण का मानक संभावनाओं की

प्रबलता होता है, जबकि आपराधिक विचारण में अभियोजन को अपराध संदेह से परे प्रमाणित करना होता है।

26– वि० विचारण न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया कि अपीलार्थी ने कोई विशिष्ट बचाव नहीं लिया और मात्र ये कहा है कि ''झूंठा फंसाया गया।'' यहां उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत न करना अभियोजन को उसके मूल दायित्व से मुक्त नहीं करता। धारा 313 के अंतर्गत साधारण इनकार अथवा कमजोर प्रतिरक्षा का उपयोग तभी सहायक परिस्थिति के रूप में किया जा सकता है, जब अभियोजन पहले विश्वसनीय साक्ष्य से अपराध की मूल श्रृंखला स्थापित कर चुका हो। अभियोजन की अप्रमाणित कड़ियों को अभियुक्त के इनकार से पूरा नहीं किया जा सकता। वि० विचारण न्यायालय के द्वारा इन परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि की गयी, यथा– पी०डब्लू०–1 को स्वाभाविक प्रत्यक्षदर्शी माना गया, संबंधित साक्षी की गवाही को स्वीकार्य माना गया, घटना के लंबे समय बाद दी गई गवाही में विसंगतियों को सामान्य माना गया, वाहन की तेज गति एवं दुर्घटना के परिणाम से लापरवाही का निष्कर्ष निकाला गया, विवेचक के परीक्षण के अभाव को महत्वहीन माना गया। यद्यपि वि० विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए सामान्य विधिक सिद्धांत अपने स्थान पर सही हैं, परन्तु उनका तथ्यात्मक अनुप्रयोग त्रुटिपूर्ण है। पी०डब्लू०–1 की घटनास्थल पर उपस्थिति स्वीकार कर लेने पर भी यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि उसने वाहन चालक को पहचानने का पर्याप्त अवसर प्राप्त किया था। इसी प्रकार सामान्य विसंगतियों को छोड़ना उचित हो सकता है, परंतु वाहन संख्या के स्रोत, चालक से पूर्व परिचय, पहली बार 22 वर्ष बाद की गई पहचान तथा महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी के परीक्षण न होने को सामान्य विसंगति नहीं कहा जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु के दुखद परिणाम एवं वाहन की कथित तेज गति को अधिक महत्व दिया गया, परन्तु आपराधिक उतावलापन या लापरवाही दर्शाने वाली सारवान् परिस्थितियाँ अभिलेख पर सिद्ध नहीं हैं। अभियोजन द्वारा न तो अपीलार्थी को वाहन से जोड़ा गया और न ही वाहन को दुर्घटना से जोड़ने वाली पूरी श्रृंखला प्रमाणित की गयी। इस प्रकार उक्त अवधार्य बिन्दु तदानुसार अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किये जाते है।

27– उपर्युक्तानुसार, अभियोजन, युक्तियुक्त संदेह से परे ये साबित करने में सफल नहीं रहा है कि अपीलार्थी ही दुर्घटनाकारी वाहन चला रहा था तथा वाहन चलाने का उसका तरीका आपराधिक रूप से उतावला या लापरवाह था। जब अपराध के दो मूलभूत अवयव ही संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं, तब केवल दुर्घटना एवं मृत्यु के आधार पर दोषसिद्धि बनाए रखना न्यायोचित नहीं होगा। उक्त निष्कर्ष दुर्घटना अथवा बालक की मृत्यु को असत्य घोषित करने के सन्दर्भ में नहीं है, अपितु निष्कर्ष मात्र इतना है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी इलियास खाँ को दुर्घटनाकारी वाहन का चालक तथा धारा 279 एवं 304–A भारतीय दण्ड संहिता का अपराधी संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जा सका है। आपराधिक न्यायशास्त्र में संदेह काल्पनिक या दूरस्थ नहीं, अपितु साक्ष्य से उत्पन्न युक्तियुक्त संदेह होना चाहिए। वर्तमान मामले में पहचान, वाहन का संबंध, वाहन संख्या के स्रोत, महत्वपूर्ण साक्षी के अभाव तथा दुर्घटना के तरीके से संबंधित कमियाँ वास्तविक एवं मूलभूत हैं। अतः अपीलार्थी संदेह के लाभ का अधिकारी है।

आदेश

28– दाण्डिक अपील 73/2025 इलियास खां बनाम उ०प्र० राज्य स्वीकार की जाती है। विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–2, लखीमपुर खीरी द्वारा आपराधिक वाद सं०–6197/2011, मु०अ०सं० C–4/2003, अंतर्गत धारा 279, 304–A एवं 338 भारतीय दण्ड संहिता में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 03.12.2025, जिसमें अपीलार्थी/ अभियुक्त इलियास खाँ को धारा 279 एवं 304–A भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया था, को

अपास्त किया जाता है।

29– अपीलार्थी इलियास खाँ को धारा 279 एवं 304–A भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

30– अपीलार्थी जमानत पर हैं, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

31– अपीलार्थी द्वारा धारा 437–A दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 30,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक जमानत छह माह की अवधि के लिए प्रस्तुत करेगा।

32– निर्णय/ आदेश की एक प्रमाणित प्रति मय मूल पत्रावली तत्काल संबंधित न्यायालय को वापस भेजी जाए। अपीलार्थी द्वारा यदि कोई अर्थदण्ड जमा किया गया हो, तो विधिअनुसार उसे वापस किया जाए।

दिनांक: 30–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
जे०ओ० कोड–(UP01561)

आज उक्त निर्णय/ आदेश स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 30–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
जे०ओ० कोड–(UP01561)

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.30 17:20:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court